मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
चिन्ता से मुक्ति

संख्या: ए–49/13/5/2012--रा.भा. दिनांक: 7 .4.2014

परिपत्र

विषय:– कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.03.2014 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न 146वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2014 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–4149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
5. बीमा आयुक्त (रा. प्र. अ.)/सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक–कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल ।
7. उप निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।

C:\Users\ESICHQ\Desktop\rajbhasha\hindi minutes.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं./Diary No. 326
दिनांक/Date 17/04/14

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2014, शुक्रवार को अपराह्न 4.00 बजे मुख्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । इसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / पदनाम (सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	
1.	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त (भर्ती)	अध्यक्ष
2.	पद्मजा नांबियार, बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन)	सदस्य
3.	डॉ. पवन कुमार, उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
4.	टि. टि. एम. ताराकन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन-5)	सदस्य
5.	मुहम्मद इरफान, संयुक्त निदेशक (बीमांकन, निरीक्षण)	सदस्य
6.	आर. एस. चौहान, संयुक्त निदेशक (वित्त)	सदस्य
7.	मुकेश चन्द्र मीणा, उप निदेशक (वित्त)	प्रतिनिधि
8.	मनीष गुप्ता, उप निदेशक (चिकित्सा-4)	प्रतिनिधि
9.	रामबीर भोट, सहायक निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)	प्रतिनिधि
10.	अनुराग कुमार, सहायक निदेशक (सतर्कता)	प्रतिनिधि
11.	शरण कुमार, सहायक निदेशक (चिकित्सा)	प्रतिनिधि
12.	डॉ.पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे ।

श्री. एस.सी. चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त (राजभाषा) के छुट्टी पर रहने के कारण श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त (भर्ती) ने बैठक की अध्यक्षता की । सदस्य-सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ अन्य सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया । तदनंतर अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया ।

सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को सहर्ष सूचित किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) दिल्ली ने निगम मुख्यालय को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है । सदस्य सचिव ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित किये जिन्हें बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने दिनांक 21.2.2014 को सचिव, राजभाषा विभाग के कर कमलों से ग्रहण किया था ।

सभी सदस्यों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें इस संबंध में और धिक प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य में हम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली इंदिरा गांधी नभाषा शील्ड भी प्राप्त कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की उपस्थिति कम होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह नभाषा कार्यान्वयन के प्रति असहयोग प्रदर्शित करता है । अतः इस संबंध में अनुपस्थित सदस्यों को पत्र खा जाए ।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि यह बैठक मार्च, 2014 की तिमाही के लिए है जिसमें सम्बर, 2013 के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी ।

संख्या 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा ।

सदस्य सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओं को iांक 02.1.14 को परिचालित किया गया था । किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त ं हुआ है । यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए । सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की ट की ।

पिछली बैठक के निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में चार ख निर्णय लिये गए थे, जिन पर कार्रवाई अपेक्षित थी । इसके अंतर्गत सूचित किया गया कि 50 प्रतिशत कम पत्राचार हिंदी में करने वाली शाखाओं से कारण जानने हेतु अनौपचारिक टिप्पणी भेजी गई । हिंदी ोर्ट तैयार करने वाले सहायकों को आगामी अप्रैल माह में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । विप्रो द्वारा ार मॉड्यूल, एप्लिकेशन, पहचान कार्ड आदि में द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने हेतु सूचना संप्रेषण ्रौगिकी प्रभाग को पत्र लिख दिया गया है परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । प्रबंध सेवा एकक को भी षण पत्र हिंदी में भेजने हेतु अनौपचारिक टिप्पणी भेज दी गई थी, परंतु की गई कार्रवाई से राजभाषा ब्रा को अवगत नहीं कराया गया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने संबंधित शाखाओं को अनुस्मारक भेजने के ्श दिए ।

संख्या 2	हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा ।

सदस्य सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा ते हुए कहा कि दिसंबर तिमाही के दौरान कुल 13227 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे । नियमानुसार किसी भी का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया । मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 75%, 'ख' क्षेत्र के साथ 67% ा 'ग' क्षेत्र के साथ 47% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया । तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 25760 ्णियों में से 56.5% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं । स्थापना–2, परीक्षा शाखा, चिकित्सा शाखा–4, केत्सा शाखा–5, चिकित्सा शाखा–6, लेखा शाखा–6, राजस्व–1, राजस्व–2, सूचना प्रणाली शाखा एवं

प्रापण प्रकोष्ठ का मूल हिंदी पत्राचार 50% से कम पाया गया । अध्यक्ष महोदय ने इस पर असंतोष व्यक्त किया ।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त शाखाओं के पत्राचार में आई गिरावट पर इसके लिखित कारण जानने के लिए संबंधित शाखाओं को पत्र लिखने के लिए कहा । सामान्य शाखा, लेखा शाखा 8 तथा राजभाषा शाखा का हिंदी पत्राचार 90% या अधिक पाए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने इन शाखाओं की सराहना की ।

अध्यक्ष महोदय ने अन्य शाखाओं से अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने का आग्रह किया । उन्होंने कुछ शाखाओं द्वारा दिए जा रहे अविश्वसनीय एवं भ्रामक आंकड़ों की रिपोर्ट प्राप्त करते समय ही जांच, करने के निदेश दिए ।

मद संख्या 3	**राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन ।**

इस मद पर सदस्यों ने विशेष चर्चा की क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति इसे अत्यंत गंभीरता से लेती है । सदस्य–सचिव ने बताया कि धारा 3(3) में सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं, निविदा सूचनाएं आदि आती हैं, जो अधिदेशात्मक हैं । इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । अतः हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उक्त दस्तावेज किसी भी स्थिति में केवल अंग्रेजी में जारी न होने दें । इस प्रसंग में विप्रो द्वारा तैयार मॉड्यूल/एप्लिकेशन, पहचान कार्ड आदि के द्विभाषीकरण को सुनिश्चित करने हेतु सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा ।**

सदस्य–सचिव ने अवगत कराया कि यह इस वित्त वर्ष की अंतिम बैठक है । हमने मौजूदा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यानुसार स्थापना शाखा–5 के सहयोग से अधिकाधिक कार्मिकों को हिंदी टंकण/आशुलिपि के लिए नामित किया है । इसी प्रकार शाखाओं के निरीक्षण संबंधी लक्ष्यों आदि को प्राप्त कर लिया है । दिसम्बर तिमाही में विभिन्न राज्यों में स्थित निगम के कुल 6 कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया । क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात राजभाषा अधिकारियों ने भी अपने कार्यालय एवं अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले अन्य कार्यालयों में भी राजभाषा हिंदी के लक्ष्य प्राप्ति के आकलन के लिए निरीक्षण किए हैं ।

मद संख्या 5	**जांच बिन्दुओं पर कार्रवाई ।**

सदस्य–सचिव ने सूचित किया कि भारत सरकार के निदेशानुसार निर्धारित 10 जांच बिन्दु 5 अप्रैल, 2013 को जारी कर दिए गए थे । उन्होंने सभी मदों को पढ़कर सुनाया और सदस्यों से तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया ।

मद संख्या 6	क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति ।

सदस्य–सचिव ने सहर्ष अवगत कराया कि निगम के अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन हो रहा है, विशेषतः हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में जैसे 'ग' क्षेत्र में गोवा में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत सराहनीय है और 'ख' क्षेत्र में पंजाब के पत्राचार का प्रतिशत भी अच्छा है । क्षेत्रीय कार्यालय गोवा को राजभाषा विभाग के पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा शील्ड प्रदान कर सम्मानित भी किया गया है । निगम मुख्यालय द्वारा प्रायोजित वार्षिक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत, 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों में क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय पटना, चंडीगढ़ एवं गोवा को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए ।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त कार्यालयों के प्रयास को प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय बताया । ।

मद संख्या 7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से राजभाषा नीति के निष्ठापूर्वक अनुपालन का आग्रह किया तथा किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए मुख्यालय की राजभाषा शाखा से सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया ।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक का समापन हुआ ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (रा.भा)